झारखण्ड सरकार

श्रम नियोजन एंव प्रशिक्षण विभाग

उप श्रमायुक्त का कार्यालय, कोल्हान प्रमण्डल, जमशेदपुर ।

दिनांक – 29.02.2016

इच्छा की अभिव्यक्ति

पूर्वी सिंहभूम जिला में अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण किया जाना है । उक्त कार्य में निदेशानुसार प्रत्येक गाँव / मोहल्ला के प्रत्येक घर में जाकर परिवार के सदस्यों से संपर्क करके आवश्यक सूचना एकत्रित की जानी है । प्राप्त सूचनाओं को संबंधित प्रखण्ड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को ससमय हस्तगत कराया जाना है । तदनुसार संबंधित सर्वेक्षण कार्य ससमय सम्पादन हेतु अनुभवी तथा सुयोग्य गैर सरकारी संगठनों (N.G.O) से "इच्छा की अभिव्यक्ति" (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है । इच्छुक गैर सरकारी संगठन निम्न शर्तों के अधीन कार्य करने हेतु प्रति घर अपना दर अंकित करेंगे । इच्छा की अभिव्यक्ति के लिये तकनीकि शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है । जिन गैर सरकारी संगठनों की तकनीकि शर्तें समिति द्वारा अनुपालित पायी जायेगी, उन्हीं के वित्तीय शर्तों पर विचार किया जायेगा । प्रति घर का अधिकतम सर्वेक्षण दर अनुमानित है, परंतु उक्त सम्पूर्ण सर्वेक्षण कार्य आवंटन की राशि 5,00,000/- रु. (पाँच लाख रुपये) के अधीन सम्पन्न किया जाना है । अत: सर्वेक्षित घर की कुल राशि अथवा आवंटनाधीन कुल राशि 5,00,000/- रु. (पाँच लाख रुपये) में जो न्यूनतम होगा, वही देय होगा ।

इस हेतु मुहरबंद इच्छा की अभिव्यक्ति निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट अथवा पत्र वाहक के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों पर आमंत्रित की जाती है -

1. इच्छा की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 08.03.2016 को 3:00 बजे अपराहन तक उप श्रमायुक्त, जमशेदपुर के कार्यालय में स्वीकार किया जायेगा । बाद में प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
2. प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति दिनांक – 08.03.2016 को 4:00 बजे अपराहन में उपायुक्त/उप विकास आयुक्त, जमशेदपुर के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी एंव उसी दिन दरों को अनुमोदित किया जायेगा । इच्छा की अभिव्यक्ति खोलने के समय आवेदित गैर सरकारी संगठन के प्राधिकृत व्यक्ति निश्चित रुप से उपस्थित रहेंगे ।
3. इच्छा की अभिव्यक्ति दो भागो में होगी, तकनीकि शर्त एवं वित्तीय शर्त । दोनों शर्तों की मूल प्रति अलग-अलग लिफाफे में रहेगी जिन पर स्पष्ट रुप से 'तकनीकि शर्त' तथा 'वित्तीय शर्त' का उल्लेख कर भेजना अनिवार्य है ।
4. तकनीकि शर्तों में अहर्त्ता प्राप्त करने पर ही उनकी वित्तीय इच्छा की अभिव्यक्ति खोली जायेगी ।
5. इस राज्य (जिलान्तर्गत) से बाहर के राज्यों में जाने वाले मजदूरों अथवा बाहर के राज्यों से इस राज्य (जिलान्तर्गत) में आने वाले मजदूरों का विहित प्रपत्र में सर्वेक्षण किया जाना है ।

तकनीकि शर्त :-

(ण) प्रतिभूति राशि के रुप में 5,000.00 (पाँच हजार रुपये) मात्र की राशि का बैंक ड्राफ्ट को उप श्रमायुक्त, जमशेदपुर के पदनाम से प्रतिश्रिम कराकर जमा करना होगा तथा उसकी छायाप्रति वित्तीय शर्त के लिफाफे में संलग्न करना होगा ।

(त) गैर सरकारी संगठन के निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति ।

(थ) वर्ष 2013-14 का अंकेक्षण प्रतिवेदन ।

(द) पैन कार्ड एवं विगत दो वर्षों का आयकर प्रमाण पत्र ।

(ध) सर्वेक्षण कार्य में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव ।

(न) अंकित दर प्रति घर 1.25/- रु. की अधिकतम सीमा के अंतर्गत होगा ।

(न्) प्रत्येक घर के सर्वेक्षण कार्य के दौरान सर्वेक्षित घर के मुखिया अथवा उपस्थित प्रतिनिधि से हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(प) सर्वेक्षण कार्य की अवधि 25.03.2016 तक होगा ।

(फ) सर्वेक्षण के उपरांत क्षेत्र के वार्ड कमीशनर / वार्ड सदस्य / प्रतिनियुक्त कर्मी से किये गये सर्वेक्षण कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(ब) चयन समिति द्वारा जिन प्रतिभागियों का दर न्यूनतम पाया जायेगा तथा वे इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तों को पूरा करते हैं, पर विचार किया जायेगा तथा उनसे सर्वेक्षण कार्य की योजना माँगी जायेगी । चूंकि सर्वेक्षण अवधि सीमित है और सर्वेक्षण कार्य पूरे जिले में कराया जाना है, अतः न्यूनतम दर पर आवेदित दुसरे N.G.O (यदि वे सहमत होते हैं) को सर्वेक्षण का कार्य करने हेतु चयन समिति निदेशित कर सकती है ।

(भ) किसी भी आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार/शिथिल/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार चयन समिति को सुरक्षित रहेगा । इच्छा की अभिव्यक्ति में संलग्न कागजातों की जाँच हेतु मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा ।

(म) चयनित अहर्त्ता प्राप्त गैर सरकारी संगठन 10/- रु. के 'नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर' पर इकरारनामा समर्पित करेंगे ।

(य) चयनित गैर सरकारी संगठन को इकरारनामा के अधीन विहित प्रपत्र में ससमय सर्वेक्षण करना होगा । यदि कोई चयनित गैर सरकारी संगठन इकरारनामा नहीं करता है अथवा इकरारनामा के बाद सर्वेक्षण का कार्य नहीं करता है तो किसी अन्य गैर सरकारी संगठन को सर्वेक्षण का कार्य न्यूनतम दर पर दे दिया जायेगा तथा वैसे गैर सरकारी संगठन द्वारा कार्य से मुकरने की स्थिति में उनका 5,000.00 रु. की राशि जब्त कर ली जायेगी ।

(र) सर्वेक्षण के कार्य के दौरान चिन्हित प्रवासी मजदूर की डिजीटल फोटोग्राफी करनी/करानी होगी ।

वित्तीय शर्त :-

(ख) न्यूनतम अंकित की गई दर प्रति घर अलग मुहरबंद लिफाफे में होगा ।

ह0/-
उप श्रमायुक्त,
कोल्हान प्रमण्डल, जमशेदपुर ।